झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0सं0 : 17/विविद्य-02-06/2024-33(17) रांची/दिनांक : 10-12-2024

आदेश

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढावा देना है। यह योजना वर्तमान में हेल्थ केयर सिस्टम के विभिन्न क्रिया कलापों को डिजिटल माध्यम से सुचारू रूप से सुदृढ करने में मदद करेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की परिकल्पना देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकेन्द्रीकरण, दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता के सुधार के लिए की गई है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मुख्यतः चार प्रमुख स्तंभ हैं, जो कि निम्नलिखित हैं–

1. आभा नम्बर
2. हैल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री
3. हैल्थ केयर प्रोफेशनल की रजिस्ट्री
4. अस्पतालों में HMIS के End to End Solutions को स्थापित करना एवं डाटा लिंकेज कराना।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि इस कार्यक्रम की अपेक्षित प्रगति जिला स्तर पर पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य संविदा पर कार्यरत कर्मियों के परस्तर समन्वय के अभाव एवं अनुश्रवण की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में जिला स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी के कार्यों/दायित्वों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1. **असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–**

1.1 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व जिला के सिविल सर्जन का होगा।

1.2 सिविल सर्जन अपने स्तर से समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पताल/जिला अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)/आयुष स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा प्रभारी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे।

1.3 अपने जिला अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों का HFR शत्–प्रतिशत कराना सुनिश्चित करेंगे।

1.4 अपने जिला के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों एवं नर्सों का शत्–प्रतिशत HPR बनवाना सुनिश्चित करेंगे।

1.5 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अन्तर्गत जिला के सभी प्राईवेट अस्पताल एवं क्लीनिक का भी HPR एवं HFR में पंजीकरण आवश्यक है। अतः ऐसे में अपने स्तर से स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

1.6 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत सभी नागरिकों का आभा नं0 बनाया जाना आवश्यक है। अतः ऐसे में अपने जिला अन्तर्गत बृहद् प्रचार–प्रसार करते हुए चिकित्सा केन्द्रों को आवश्यक दिशानिर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।

1.7 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों को End to End (पंजीयन से Discharge तक) डिजिटलीकरण कराने का लक्ष्य है। अतः अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/अनुमंडलीय स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) में HMIS के सभी Module को सुचारू रूप से प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

1.8 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अन्तर्गत सर्वप्रथम जिला अस्पताल/अन्य चिन्हित अस्पतालों के सभी डिपार्टमेन्ट में HMIS का क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य है।

1.9 Digital Health Incentive Scheme (DHIS)- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत DHIS से अर्जित राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

1.10 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत होने वाले व्यय का Utilization Certificate ससमय देना सुनिश्चित करेंगे।

1.11 विभागीय पत्रांक– 54 (22) दिनांक– 19.07.2024 के तहत स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित कार्यों की भी नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

1.12 अनुश्रवण– सिविल सर्जन अपने स्तर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का प्रत्येक 15 दिनों में अनुश्रवण करते हुए अद्यतन प्रगति से राज्य अभियान निदेशक को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. <u>**नोडल पदाधिकारी, ए0बी0डी0एम0–**</u> सिविल सर्जन अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को, जो कि आई0टी0 में रूचि रखते हों, को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नोडल पदाधिकारी नामित करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि HMIS का क्रियान्वयन जिला अस्पताल में होना है, इसके लिए आवश्यक है कि जिला अस्पताल के नोडल पदाधिकारी भी इसमें अपनी भूमिका निभायेंगे।

2.1 नोडल पदाधिकारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला डाटा प्रबंधक/प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर के सहयोग से कम्प्यूटर/डेस्कटॉप एवं अन्य उपस्करों का आंकलन कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2.2 नोडल पदाधिकारी, सिवलि सर्जन के सहयोग से पर्याप्त मानवबल अस्पताल में HMIS क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2.3 नोडल पदाधिकारी, अपने स्तर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ बैठक कर आने वाली दैनिक समस्याओं का समाधान करेंगे।

3. <u>**उपाधीक्षक, जिला अस्पताल–**</u> जिला अस्पताल में सर्वप्रथम HMIS के समस्त घटकों का क्रियान्वयन किया जाना है। अतः उपाधीक्षक, जिला अस्पताल का दायित्व होगा कि वो अपने स्तर से समस्त विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

3.1 जिला अस्पताल में स्कैन एण्ड शेयर, विभिन्न विभागों में HMIS के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कम्प्यूटर एवं मानव बल, सिविल सर्जन की मदद से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 उपाधीक्षक अपने स्तर से सभी विभागान्तर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में आने वाली दैनिक समस्याओं का समाधान करेंगे।

4. <u>**जिला डाटा प्रबंधक / प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर–**</u> आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर संविदा पर कार्यरत हैं परंतु पर्याप्त संख्या में नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। अतः जिन जिलों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर का पदस्थापन है, उन्हें छोडकर शेष जिलों में जिला डाटा प्रबंधक, एन0एच0एम0 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर का कार्य करेंगे। जिला डाटा प्रबंधक/प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर का दायित्व निम्नलिखित है–

33(17)
10.12.2024

4.1 सभी जिला अस्पताल में HMIS को सुचारू रूप से कियान्वित करने हेतु आवश्यक पहल करना। जिला अस्पताल के सभी डिपार्टमेंट को HMIS मॉडयूल से जोडना एवं संबंधित पटल में कम्प्यूटर (Functional) इत्यादि को अधीक्षक की मदद से सुनिश्चित करेगे।

4.2 स्कैन एण्ड शेयर के माध्यम से जिला अस्पताल के ओ0पीडी0 पंजयन को शत्–प्रतिशत करना।

4.3 सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर इत्यादि का शत प्रतिशत HFR एवं संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का HPR पंजीकरण सुनिश्चित करना।

4.4 जिला के CHC/UPHC में HMIS के सभी Module को लागु करना।

4.5 जिला स्तर पर कम से कम 10 CHC/UPHC को Model Facility के रूप में चिन्हित कर HMIS के सभी Module का क्रियान्वयन करना।

4.6 इसके अलावा मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निदेशित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित अन्य कार्य।

5. <u>अस्पताल प्रबंधक (Hospital Manager)-</u> जिला अस्पताल के सफल संचालन का दायित्व Hospital Manager का है। अतः जिला अस्पताल के Hospital Manger, ABDM के सभी Module को कियान्वित करने हेतु जिम्मेदार होंगे। Hospital Manger अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि–

5.1 OPD में डॉक्टर e-prescription के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध हो।

5.2 सभी संबंधित डिपार्टमेन्ट को Digitalize कराते हुए HMIS के सभी मॉडयूल शुरू करायेंगे।

5.3 HMIS के मॉडयूल केवल Linked ही ना हो, अपितु उसमें डाटा भी उपलब्ध कराया जाए एवं मरीज PHR App की मद्द से अपना Digital Health Record भी देख पाए।

6. <u>जिला कार्यक्रम समन्वयक, Community Process-</u> आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अन्तर्गत सभी नागरिकों का ABHA number का निर्माण किया जाना है। आभा नम्बर बनने से रोगी पंजीकरण से लेकर उपचार की सभी जानकारी कागज रहित तरीके से रखी जा सकेगी। अतः ऐसे में जिला कार्यक्रम समन्वयक, Community Process का दायित्व है कि सहिया की मदद से गाँव–गाँव में कैम्प लगाकर आभा नम्बर बनाना सुनिश्चित करेंगे।

7. <u>जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–</u> आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यों के समन्वयन हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। जिला कार्यक्रम प्रबंधक अपने स्तर से सभी पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। जिला के निजी अस्पताल में भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी मॉडयूल को लागु किया जाना है। इस कार्य हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक अपने स्तर से पहल करते हुए निजी अस्पतालों का क्षमता संर्बधन/प्रशिक्षण का कार्य करेंगे। जिला स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित प्रचार/प्रसार हेतु आई0ई0सी0 का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सभी पदाधिकारी अपन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सुचारू रूप से सुदृढ करने में मद्द करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

33(17)
10.12.2024

ज्ञापांक : 17/विविध – 02-06/2024-33(17) राँची/दिनांकः– 10-12-2024

प्रतिलिपि–

6. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. राज्य अभियान निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड, राँची को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचानार्थ प्रेषित।
9. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, झारखण्ड को सूचानार्थ प्रेषित।
11. सभी सिविल सर्जन/सभी उपाधीक्षक, जिला अस्पताल, झारखण्ड को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी नोडल पदाधिकारी, ए0बी0डी0एम0/सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0/सभी जिला डाटा प्रबंधक, एन0एच0एम0/सभी प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, ए0बी0डी0एम0/सभी अस्पताल प्रबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव